कंट्रोल के कपड़े की 40 साल पहले कालाबाजारी की, अब सजा

■ अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है

जयपुर। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने चालीस साल पहले कंट्रोल के कपडे की कालाबाजारी करने वाले 86 वर्षीय व्यापारी राधेश्याम को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जया अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने गरीबों को वितरण के लिए मिले कपडे की कालाबाजारी की है। ऐसे में उसके खिलाफ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। वहीं अदालत ने प्रकरण में एक अन्य विष्णु कुमार को बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन उपायुक्त ने घटना के चार साल बाद एक दिसंबर, 1988 को सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि गरीब जनता को वितरित किए जाने वाले कपडे पर भारत सरकार भारी अनुदान देती है। अभियुक्त व्यापारी ने कपडे की 1005 गांठों में से 98 गांठों के फर्जी बिल बनाकर बाजार में कालाबाजरी की। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 19 दिसंबर, 1991 को राधेश्याम सहित चिरंजीलाल, मोहनलाल और विष्णु कुमार के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान चिरंजी और मोहनलाल की मौत हो गई। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई को ड्रॉप कर दिया।

भजनलाल शर्मा ने गन्ना क्रय मूल्य में वृद्धि की

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गन्ना क्रय मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है। इस वृद्धि से श्रीगंगानगर के हजारों गन्ना उत्पादक किसानों की आय में 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री शर्मा के कृषक हितैषी निर्णय के अनुसार अब गन्ना की अगेती किस्म को 401 रुपये, मध्य किस्म को 391 रुपये एवं पछेती किस्म को 386 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा।

वर्तमान वर्ष 2024-25 में श्रीगंगानगर जिले के 3 हजार 170 किसानों द्वारा लगभग 19 हजार 4 बीघा क्षेत्र में गन्ने की बिजाई की गई है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड इन किसानों का लगभग 20 लाख क्विंटल गन्ना खरीदेगा।

समिति सदस्यों के अलावा अन्य को कनेक्शन जारी नहीं करे बिजली विभाग

जयपुर। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-18 महानगर प्रथम ने बिजली विभाग को पाबंद किया है कि वह पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से सृजित कुंती विहार योजना के सदस्यों के अलावा अन्य किसी को विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करे। अदालत ने यह आदेश कुंती विहार विकास समिति की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विकास सोमानी ने अदालत को बताया कि पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति ने गजसिंहपुरा में कुंती विहार योजना का चार ब्लॉक में सृजन किया था। प्रार्थी समिति के सदस्य अपने भूखंडों पर निर्माण कर सालों से निवास कर रहे हैं। वहीं उन्हें विधि अनुसार विभाग ने बिजली कनेक्शन भी जारी कर रखे हैं। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी समिति के सदस्यों के भूखंडों पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रार्थी समिति को गत 22 अक्टूबर को जानकारी मिली कि ये लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं। जब समिति ने विभाग में इसकी शिकायत की तो संबंधित अधिकारी ने उच्चाधिकारियों के कहने पर इन लोगों को जल्दी ही कनेक्शन देने की बात कही। ऐसे में विभाग को पाबंद किया जाए कि वह प्रार्थी समिति के अतिरिक्त अन्य किसी को यहां बिजली कनेक्शन जारी नहीं करे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

जयपुर/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली के अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह एवं पीयूष गोयल तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की।

शर्मा ने सोमवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने राजस्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से शिष्टाचार मुलाकात की। चर्चा के दौरान दोनों नेताओं के मध्य राजस्थान में विभिन्न विकास परियोजनाओं, उद्योग क्षेत्र में निवेश संभावनाओं एवं राज्य के समग्र आर्थिक विकास पर विस्तार से बातचीत हुई। शर्मा मंगलवार को ही नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी मिले। मुलाकात के दौरान दोनों राज्यों के बीच चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, पारस्परिक सहयोग एवं आर्थिक संबंधों के विषय में विस्तृत चर्चा की गई।

कलक्टर जितेंद्र सोनी ने दिलाई शपथ

जयपुर । सुशासन सप्ताह के तहत मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित तहसील चौक में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान जिला परिषद सीईओ प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त कलक्टर विनीता सिंह, आशीष कुमार, कुंतल बिश्नोई, सुमन पंवार, देवेंद्र कुमार जैन, मुकेश कुमार मूंड, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेरसिंह लुहाड़िया सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

स्वदेशी शिक्षा प्रणाली के आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया

प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं परंपरा के आधुनिक शिक्षा में समावेशन के उद्देश्य से गठित भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं पतंजलि योगपीठ द्वारा प्रायोजित नवीन राष्ट्रीय विद्यालय बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित परिवर्तनकारी शैक्षिणक संगोष्ठी उद्घाटन स्वामी रामदेव ने किया।

■ हरिद्वार में परिवर्तनकारी शैक्षिणक संगोष्ठी का समापन : परंपरा और नवाचार का समावेश

हरिद्वार/जयपुर। प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं परंपरा के आधुनिक शिक्षा में समावेशन के उद्देश्य से गठित भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं पतंजलि योगपीठ द्वारा प्रायोजित नवीन राष्ट्रीय विद्यालय बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित परिवर्तनकारी दो दिवसीय शैक्षिणक संगोष्ठी, ''विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन: नवीन भारत निर्माण हेतु भारतीय मूल्यों का समावेशन'' का समापन किया गया। 14 और 15 दिसंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि को सुसंगत बनाने और पाठ्यक्रम में आधुनिक शैक्षिणक पद्धितयों के समावेशन हेतु अभिनव तरीकों पर संवाद करने के लिए अग्रणी शैक्षिणक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

संगोष्ठी में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, भारतीय शिक्षण मंडल, ईशा योग फाउंडेशन, रामकृष्ण मिशन शैक्षिक और शोध संस्थान, अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन, चिन्ना जीयर स्वामी संगठन, स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान, विवेकानंद केंद्र, श्री अरबिंदो सोसाइटी, भिक्खु संघ सेना, जैन एजुकेशन ट्रस्ट, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा और कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा भविष्योंन्मुखी शैक्षिणक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। यह संगोष्ठी समग्र शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा और पारंपरिक भारतीय ज्ञान को समकालीन शैक्षिणक तकनीकों में एकीकृत करने हेतु विचारों के आदान-प्रदान का एक मंच था।

संगोष्ठी का उद्घाटन स्वामी रामदेव ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को युवा पीढ़ी में भारतीय मूल्यों और दृष्टिकोणों के समावेशन के साथ उन्हें वैश्विक नेतृत्व में बदलने हेतु स्वदेशी शिक्षा प्रणाली के नवीन आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। प्रतिभागियों ने संगोष्ठी के उद्देश्य को आत्मसात करते हुए नवीन भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित समकालीन शिक्षा में बदलाव की महत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने रोचक और विचारशील प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए।

संगोष्ठी में संवाद के मुख्य तत्व थे, भारतीय शैक्षिणक पारिस्थितिकी तंत्र को भारतीय संवेदनाओं और मूल्यों के साथ पुन: निर्मित करना ताकि व्यावहारिक विज्ञान और कला शिक्षा के माध्यम से जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जा सके; नवीन, अनुभवात्मक शिक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना, समग्र विकास, गहन शिक्षक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से जमीनी स्तर पर शिक्षकों के साथ जुड़ाव, प्रौद्योगिकी और कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना, छात्रों और शिक्षकों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को मजबूत करना और बच्चों की शैक्षिणक यात्रा में माता-पिता एवं समाज की भागीदारी को बढ़ाना।

एक सत्र में आचार्य बालकृष्ण ने प्रतिभागियों को उनके विद्यालय प्रणाली में सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा देने

शोक संदेश

हमारी पूजनीय माताजी **श्रीमती भगवती देवी** धर्मपत्नी स्व. श्री गिरधारीजी मायछ का स्वर्गवास 25.12.2024 को हो गया है।

शोकाकुल- विनोद (देवर), संजय, मनीमा (पुत्र) एवं समस्त मायछ परिवार।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैं आर्मी नं-15690597W L/HAV दिलीप कुमार, यूनिट-SWCSR apo-56 ने भविष्य के लिए अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपने पुत्र का नाम ज़िग्गा आदी से बदलकर एंजल दिलीप कर दिया है।

मैंने अपना नाम किशोर कुमार से बदलकर किशोर कुमार माखीजा पुत्र श्री नरेश कुमार माखीजा रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाएं निवासी प्लॉट नं. 06, श्रीराम वाटिका, सुन्दर नगर, नायला रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर

मैंने अपना नाम कैलाश चन्द्र गुप्ता पुत्र राधे श्याम गुप्ता से बदलकर कैलाश चंद गुप्ता पुत्र राधे श्याम गुप्ता रख लिया है, भविष्य में मुझे कैलाश चंद गुप्ता पुत्र राधे श्याम गुप्ता के नाम से जाना जायेगा। पताः ए-19, लक्ष्मीनारायण पुरी, हीदा की मोरी, रामगंज, जयपुर-302003 (राज.)

मैंने अपना नाम अभय कुमार (Abhay Kumar) से बदलकर अभय कुमार मेहरा (Abhay Kumar Mehra) रख लिया है भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अभय कुमार मेहरा (Abhay Kumar Mehra) पुत्र श्री कमलेश्वर नाथ मेहरा के नाम से जाना जावे। निवासी-मेहरा भवन, भीलवाडा रोड, गुलाबपुरा ग्रामीण, भीलवाडा राजस्थान 311021

मैंने अपना नाम गिरधर सिंह से बदलकर गिरधर सिंह राजावत रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे गिरधर सिंह राजावत पुत्र श्री उम्मेद सिंह राजावत प्लॉट नंबर 86 बालाजी विहार,37 निवारू लिंक रोड नारायण मार्केट गोविंदपुरा कालवाड़ रोड जयपुर 302012

खोया पाया

बोबाडी गृह निमार्ण सहकारी समिति के प्लाट नं. 4 लक्ष्मी नगर, चन्द्र महल कॉलोनी आमेर के सम्पर्ण दस्तावेज जो अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल लतीफ खान के नाम से थे मोहल्ला नलाबन्दान, बान्दरी के नासिक में कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें 8890667786

बनेठी गृह निर्माण सहकारी समिति लि से जारी प्लॉट न. 17, कल्याण नगर 2nd, काका कॉम्प्लेक्स, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र, साइट प्लान, रसीद कही खो गए है मिलने पर सूचित करें चन्दा देवी धर्मपत्नी कमल पारीक 9772341857

मेरा मकान सं. 51/22, प्रताप नगर, जयपुर का मूल नियमितिकरण मांग पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सम्पर्क करें-मधुलता गुप्ता-9983993907

सावर्जनिक सूचना हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय श्रीमती रंजनी गर्ग से उनके वारिसान् (पति) श्री राधेश्याम गर्ग व (दो पुत्रों) (1) आनन्द गर्ग व (2) वैभव गर्ग को उत्तराधिकार में प्राप्त सैक्टिण्ड फ्लोर तक पुख्ता निर्मित कॉमर्शियल प्लॉट सं0 एस-88 कुल क्षेत्रफल 65.02 वर्गमीटर (78 वर्गगज) वाके योजना बरकत नगर टोंक फाटक जयपुर महानगर राज0 को मेरे अभिभाष्य श्री जगदीश प्रसाद जांगिड ने सप्रतिफलार्थ साफ-सुथरे टाईटल एवं वास्तविक एवं भौतिक कब्जे की प्राप्ति के साथ उक्त टाईटल होल्डर्स से खरीद किये जाने का अनुबन्ध किया जा चुका है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, बैंक आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति, ऐतराज होने की सूरत में सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की समयावधि में लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा विक्रय पत्र पंजीकृत करा लिये जाने के बाद की जाने वाली तमाम प्रकार की उज्रदारी व दावेदारी मेरे अभिभाष्य के विधिक हितों एवं अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य व अमान्य होगी। कृपया सुचित रहें।

Lawyer, (N.S. "ADITYA SHIVANSH") 154, "SHRI BADRI VISHALAYA", RANISATI NAGAR, SHYAMPATH, AJMER ROAD, JAIPUR - 302019 Mob No-9785105424

उद्घोषणा (इश्तेहार) बजरिये न्यायालय

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कम संख्या 1, सांभर लेक

विषयः- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रोबेट लैटर ऑफ एडमिनेस्ट्रेशन प्राप्त करनें हेतु प्रार्थना पत्र ।

अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम प्रार्थी का नाम सुरेश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री किशन चन्द शर्मा उम्र 75 वर्ष, जाति-ब्राहम्ण, निवासी रामदेव बाबा टेंपल के सामनें, गणगौरी बाजार, फुलेरा, जिला-जयपुर, राजस्थान

पेशी दिनांक 10-01-2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी नें इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उसकी पत्नि मृतका श्रीमति विनोद कुमारी सारस्वत का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रोबेट लैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किया जावे।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10/01/2025. को उपस्थित न्यायालय होकर आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करे। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 26 माह 11 सन 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा से-रीडर ग्रेड प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायधीश क्रम-1
सांभर लेक, जिला जयपुर
मोहर अदालत

The court OF XXIII Additional District and Session Judge Additional Motot Accident Claims Tribunal, District Court, Bhopal

Presiding Officer : अतुल सक्सेना
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0003250/2024)
जामा बरेला.....वादी Vs शंभूसिंह.....प्रतिवादी
Process Id -/2024

प्रेषिती- पेशी दिनांक: 28/01/2025
(1) शंभू सिंह पिता जगदीश पता- ग्राम सूरजपुरा मौशिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
(2) प्रधान जाट रोडू जाट पता-ग्राम सूरजपुरा मौशिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

यह कि प्रार्थी जामा बरेला ने आपके विरूद्ध आवेदन अंतगर्त धारा 166 मोटरयान अधि0 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपर्सजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपर्सजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख 23 December 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायाधीश (आतुल सक्सेना) सदस्य
अति.मो.दुर्घटना दावा अधिकरण,
भोपाल (म.प्र.)
मोहर अदालत

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 336/24

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम (1) आशीष शर्मा (2) अनुज शर्मा पुत्र महेश चन्द शर्मा जाति... (3) अनुप शर्मा

विवाद स्थान बी-15/25, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर

मृतक (1) मांगीलाल शर्मा (2) महेश चंद शर्मा (3)फूल शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 29.1.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम (1) मांगीलाल शर्मा पुत्र मोरी लाल शर्मा (2) फूल शर्मा पत्नी महेश चंद शर्मा (3) महेश चंद शर्मा पुत्र मांगीलाल निवासी बी-15/25, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 29 माह 1 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 23 माह 11 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय
मोहर अदालत

सम्मन बनाम कायम मुकाम

(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत सिविल न्यायाधीश मुकाम शाहपुरा (जयपुर)

मुरलीधर बाबत ग्राम पंचायत धानोता दावा बाबत आदेशात्मक निषेधाज्ञा मुकद्दमा नम्बर 2/16 सन् बनाम :- सोनाराम उर्फ सत्यनारायण, राहूल पुत्रान घीसाराम बुनकर निवासी धानोता, पिंकी पुत्री घीसाराम पत्नी कालूराम बलाई निवासी चारणवास (थोबलाई) के पास पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर, गोपाल पुत्र रुड़मल उर्फ रूड़ाराम बलाई निवासी धानोता, पतासी पुत्री रुड़मल पत्नी रामगोपाल बुनकर निवासी आसपुरा वाया अजीतगढ़, मेवा देवी पुत्री रुड़मल पत्नी बनवारी लाल बुनकर निवासी चारणवास पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जयपुर, श्रवनी पुत्री रुड़मल पत्नी बालचन्द, गीता पुत्री रुड़मल पत्नी सुभाष चन्द बुनकर निवासी देवका हरवाडा वाया चन्दवाजी जयपुर चूंकि अपीलार्थी ने इस अदालत में तारीख..... माह..... सन् 199 को 1. वादी मुरलीधर बनाम 2. ग्राम पंचायत दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि वादी मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी गीता देवी व रुड़मल मजूकर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की बजाय उसके आप कायम मुकाम बनाये जावें। लिहाजा बजरिये हाजा बर्गज जबाब देही 13 माह 01 सन् 2025 को अदालत हाजा में हाज़िर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकद्दमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 12 सन् 2024 को जारी किया गया।

सिविल न्यायाधीश
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
मोहर अदालत

सम्मन बनाम कायम मुकाम

(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या एक मुकाम शाहपुरा (जयपुर)

मुरलीधर वर्मा बाबत ग्राम पंचायत धानोता दावा बाबत अपील मुकद्दमा नम्बर 1/2017 सन् बनाम :- आनन्दीलाल पुत्र भूराराम बलाई निवासी धानोता हाल प्लाट नंबर 32 बाहुवली कॉलोनी वीर तेजाजी रोड़ मान सरोवर जयपुर, प्रेम पुत्री भूरामल पत्नी गजानन्द बुनकर निवासी तिगरिया तहसील चोमू, पूजा पुत्री गिरधारी पत्नी भुवनेश बलाई निवासी हाडोता, मीरा पुत्री भूरामल पत्नी जगदीश बलाई निवासी देवका हरवाडा तहसील आमेर, गोपाल पुत्र रुड़मल उर्फ रूड़ाराम बलाई निवासी धानोता, पतासी पुत्री रुड़मल पत्नी रामगोपाल बुनकर निवासी आसपुरा, श्रवनी पुत्री रुड़मल पत्नी बालचन्द, गीता पुत्री रुड़मल पत्नी सुभाष चन्द बुनकर निवासी देवका हरवाडा वाया चन्दवाजी जयपुर चूंकि अपीलार्थी ने इस अदालत में तारीख..... माह..... सन् 199 को 1. मुरलीधर बनाम 2. ग्राम पंचायत दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि अपीलार्थी मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी भूरामल व रुड़मल मजूकर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की बजाय उसके आप कायम मुकाम बनाये जावें। लिहाजा बजरिये हाजा बर्गज जबाब देही 03 माह 01 सन् 2025 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकद्दमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 12 सन् 2024 को जारी किया गया।

आज्ञा से-रीडर ग्रेड-प्रथम
जिला एवं सैशन न्यायाधीश
शाहपुरा (जयपुर) जिला राज.
मोहर अदालत

सम्मन बनाम कायम मुकाम

(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या -1 मुकाम शाहपुरा जयपुर

मुरलीधर बाबत रूड़ाराम वगै. दावा बाबत विविध अपील मुकद्दमा नम्बर 1/2017 सन् बनाम :- पतासी देवी पुत्री रुड़ाराम पत्नी रामगोपाल बुनकर निवासी आसपुरा वाया अजीतगढ़ जिला सीकर, श्रवणी देवी पुत्री रुड़ाराम पत्नी बालचन्द, गीता देवी पुत्री रुड़ाराम पत्नी सुभाष चन्द जाति बुनकर निवासी देवका हरवाडा वाया चन्दवाजी जयपुर चूंकि अपीलार्थी ने इस अदालत में तारीख..... माह..... सन् 199 को 1. मुरलीधर बनाम 2. रुड़ाराम वगै. दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि अपीलार्थी मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी रुड़ाराम मजूकर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की बजाय उसके आप कायम मुकाम बनाये जावें। लिहाजा बजरिये हाजा बर्गज जबाब देही 10 माह 01 सन् 2025 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकद्दमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 12 सन् 2024 को जारी किया गया।

आज्ञा से-रीडर ग्रेड-प्रथम
जिला एवं सैशन न्यायाधीश
शाहपुरा (जयपुर) जिला राज.
मोहर अदालत

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 415/2024

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि भवानी शर्मा पुत्र श्री प्रेम चन्द शर्मा पत्नी श्री राजेश कुमार शर्मा निवासी 63, जनकपुरी-1, टोंक रोड, इमली वाला फाटक, बापू नगर, जयपुर 302015 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत ट्यूलिप एज्युकेशन ट्रस्ट कार्यालय पता-प्लॉट नं. डी-727, जगदम्बा नगर, गिरधारीपुरा, जयपुर 302034 ने राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 28.2.25

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर
मोहर अदालत

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www/jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा.1-जोन-1/2024/डी-2292 दिनांक:20.10.2024

विज्ञप्ति

जविप्रा की योजना मालवीय नगर के भूखण्ड संख्या-सी-89, क्षेत्रफल 139.94 वर्गगज की आवंटन पत्र दिनांक 08.03.1981, कब्जा पत्र दिनांक 15.04.1982 एवं लीजडीड दिनांक 17.07.2013 को श्रीमती कुसुम त्यागी पत्नी श्री शांति स्वरूप त्यागी के पक्ष में जारी किया गाया। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र में श्रीमती कुसुम त्यागी की मृत्यु दिनांक 26.06.2018 अंकित है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व प्रस्तुत पंजीकृत वसीयतनामा अनुसार मूल आवंटी/लीजडीड धारक द्वारा आवेदक ऐष्वर्य त्यागी पुत्र श्री शांति स्वरूप त्यागी के पक्ष में निष्पादित की गई। उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर आवेदक के द्वारा नाम हस्तान्तरण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है।

अत: इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 07 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-1, जविप्रा, जयपुर

एनटीपीसी NTPC — एन टी पी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

नोटिस

पंजीकृत कार्यालय का पता: एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
कॉर्पोरेट पहचान सं. - L40101DL1975GOI007966

उपरोक्त आवेदक ने 01.04.2024 से 31.03.2029 तक के लिए **रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन, चरण-III (1000 मेगावॉट)** के प्रशुल्क के निर्धारण के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), नई दिल्ली के समक्ष आवेदन दिया है।

1. उत्पादक स्टेशन के लाभार्थी इस प्रकार हैं :
   - क) उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
   - ख) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (राजस्थान के डिस्कॉम की ओर से), विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302005
   - ग) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ग्रिड सबस्टेशन, हडसन रोड, किंग्सवे कैंप, दिल्ली-110009
   - घ) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, दूसरा तल, बी-ब्लॉक, बीएसईएस भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
   - ङ)